

369

पत्र संख्या-सी०/ई०एच०-14/2023-...../जे०

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा:-

*वित्त विभाग।

पटना, दिनांक-.....

विषय:-

माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी वादों के संचालन हेतु
विधि पदाधिकारियों की संख्या का निर्धारण के संबंध में।

.....

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधि
पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के नियम-3(4) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा
माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी वादों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों की
संख्या निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है:-

माननीय उच्च न्यायालय पटना के लिए

क्र० सं०	विधि पदाधिकारियों की कोटि	संख्या
(क)	अपर महाधिवक्ता	20
(ख)	शासकीय अधिवक्ता	25
(ग)	सरकारी प्लीडर	40
(घ)	स्थायी समुपदेशक	40

2. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति के उपरांत सक्षम प्राधिकार का
अनुमोदन प्राप्त है।

3. इस आदेश के द्वारा विधि पदाधिकारियों की संख्या के निर्धारण के फलस्वरूप पूर्व के सृजन
संबंधी आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक-...../जे०,

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक-.....5472...../जे0,

पटना, दिनांक-...27.8.25...

प्रतिलिपि:- विद्वान महाधिवक्ता, बिहार/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/
माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य
पदाधिकारी, बिहार, पटना/माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना एवं विभागीय
आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Handwritten signature
27.08.25

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार।